संख्या-620/2017/1137/22-2-2017-17(120)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी जनपद-कासगंज की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0-02-05-2017) दिनांक-22-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह पुत्र श्री राजाराम, निवासी-सिरावली, थाना-सोरों, जनपद-कासगंज का रहने वाला है। मा0 न्यायालय में चल रहे मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 07.02.1976 को अपरान्ह् 03:30 बजे लाठी, भाला और तमन्चे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-380/1976 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 324/149, 323/149, 147, 201 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 15.11.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.1980 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2017 तक 18 वर्ष 03 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 34 वर्ष 11 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 04 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 03 सहअभियुक्त कारागार से मुक्त हो चुके, 02 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा 02 व्यक्तियों की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा सम्बन्धित न्यायालय के मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा'432 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह पुत्र श्री राजाराम को समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अतर सिंह (बन्दी संख्या-26605) पुत्र श्री राजाराम जनपद-कासगंज की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-620/2017/1137(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।